

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भवानीशंकर जोशी निवासी धनवन्त परिवार, राजकीय विद्यालय के पास, पो. टीकड़ तहसील आमेट जिला
राजसमन्द पिन कोड 313332

- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 68/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 09.10.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये क्रमांक/आर.टी.आई./2023/276 दिनांक 04.10.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना ग्राम टीकड़ खाता संख्या 216 नया 210 खसरा संख्या 1494, 1496, 1497, 1498 जमीन वर्ष 1950 से संबंधित जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में जांच रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक सैलागुडा एवं पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम टीकड़ प. म. खाखरमाला के वर्तमान खाता संख्या 210 में दर्ज आ. न. 1494/0.1400, 1497/0.1900, 1497/0.1600, 1498/0.1100 कुल किता 4 रकबा 0.6000 है 0 गीता देवी पत्नी रमेशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी टीकड़ के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबंदी नकल की प्रति संलग्न है वर्ष 1950 से उक्त भूमि पर किसका कब्जा रहा यह जानकारी कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि वर्ष 1987 में एकलिंग पिता हांसा ब्राह्मण के नाम आवंटित हुई। उक्त सूचना प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक - आर.टी.आई./2023/274 दिनांक 03.10.2023 जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को नालासुपारा मुम्बई भेजी गई।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।</p>	



निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को
भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर
हो।



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद